भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3862
12.08.2025को उत्तर के लिए नियत

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

3862. **श्रीमती प्रतिमा मण्डल:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के समक्ष प्रौद्योगिकी की अप्रयुक्ततता, कम क्षमता उपयोग और अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास संबंधी निवेश जैसी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करेगी;
(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को उसके उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने और प्रतिस्पर्धी बाजार परिवेश में उसके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या सहायता प्रदान की गई है; और
(ग) सरकार तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और भारी उद्योगों के सतत विकास को बढ़ावा देने में बजट आवंटन और प्रमुख योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन किस प्रकार करती है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान, नवाचार को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) 1207 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय, 975 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता और 232 करोड़ रुपये के उद्योग अंशदान के साथ "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन- चरण II" स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन 33 परियोजनाओं में 9 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), 5 सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी), 7 परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास के लिए 9 उद्योग त्वरक और कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए अर्हता पैक (क्यूपी) निर्माण हेतु 3 परियोजनाएँ शामिल हैं।

(ख): भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के मार्गदर्शन और सहयोग के तहत, निम्नलिखित क्षेत्रों में नए और उभरते क्षेत्रों में अपने उत्पाद की पेशकश को व्यापक बनाकर थर्मल पावर सेक्टर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए रणनीति बनाई है:

(i) कोयला गैसीकरण:

- स्वदेशी रूप से विकसित प्रेसराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफ़िकेशन (पीएफबीजी) प्रौद्योगिकी।
- कोल-टू-अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र विकसित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) यानी भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया गया।
- भारी उद्योग मंत्रालय की रणनीतिक नीति वकालत के माध्यम से, बीसीजीसीएल की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना को भारत सरकार द्वारा 1,350 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए चिन्हित किया गया।

(ii) एयूएससी (एडवांस्ड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी):
बीएचईएल ने आईजीसीएआर और एनटीपीसी के सहयोग से भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 900 करोड़ रुपये के पर्याप्त निवेश के साथ एक स्वदेशी एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी विकसित की है।

(iii) रणनीतिक उपकरण और ली-आयन बैटरी की स्थापना (एकीकरण और परीक्षण)।

(iv) भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि- चरण II स्कीम के अंतर्गत परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं का विस्तार, अर्थात् " बीएचईएल में परीक्षण और अंशांकन केंद्र", "बीएचईएल, हैदराबाद में एसआईएल और एचआईएल परीक्षण केंद्र के लिए परीक्षण प्रयोगशाला" और " बीएचईएल, हैदराबाद में पंपों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला"।

(v) चिन्हित किए गए विविधीकरण क्षेत्रों में नियमित समीक्षा, निगरानी और मार्गदर्शन जैसे-

- *परिवहन-* वंदे भारत ट्रेनसेट, सिग्नलिंग (ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली)
- *रक्षा-* उन्नत एसआरजीएम, वायु रक्षा गन, सामरिक उपकरण।

(ग): "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन" स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना की स्क्रीनिंग समिति द्वारा जाँच की जाती है और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने में इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता के आधार पर शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना के लिए एक परियोजना समीक्षा एवं निगरानी समिति (पीआरएमसी) का भी गठन किया गया है। परियोजना की प्रगति और परियोजना के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि की प्रभावशीलता की समीक्षा के लिए पीआरएमसी की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

*****